

## न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी:- राज. सरकार जरिए पटवारी हल्का घोर

अप्रार्थी:- श्री विष्णु डी० मदनदान चौधरी निवासी खनासपुरा अन्तर्गत  
धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 135/19

निर्णय दिनांक:- 18.7.19

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का घोर  
ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी. पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत् 2025 में  
सरहद खनासपुरा के खसरा नम्बर 908/1, 911/1 में किरम 303.25  
में रकबा 0.0410, 0.0468 में तारबन्दी कर अतिक्रमण किया है  
जिस पर वाद धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को  
वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी विष्णु ने दिनांक 18.7.19  
को उपस्थित होकर पत्रावली प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजों एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का  
अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मौजा खनासपुरा के खसरा नम्बर 908/1, 911/1  
किरम 303.25 में रकबा 0.0410, 0.0468 की भूमि पर अतिक्रमण किया  
जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से  
बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 4 रुपये प्रति हैक्टैयर  
की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0878 भूमि के 0.35 रुपये लगान का 50  
गुणा 20 /- अक्षरे लीज रुपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता  
है। जुर्माना राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली  
हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक  
रूप से बेदखल कर पालाना रिपोर्ट पेश।

निर्णय आज दिनांक:- 18.7.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा  
उप तहसीलदार पीलवा